N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0232 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/10/2024 17:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी एन एस एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 26/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 18:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/10/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/10/2024 17:20:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALYA TAHSILDAR, KHANDAR, SAWAI MADHOPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AVINASH THANVI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAY PRAKESH NARAYAN THANVI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 15/04/1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	3/400, SHALBY HOSPITAL KE PASS, CHITRAKOOT SCHEME, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	3/400, SHALBY HOSPITAL KE PASS, CHITRAKOOT SCHEME, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARMENDER TASERA		पिता:KANHAIYA LAL KHATIK	1. B.S.N.L. OFFICE TONK,TONK,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है कि परिवादी श्री अविनाश थानवी पुत्र जय प्रकाश नारायण थानवी जाति ब्राहम्मण निवासी 3/400, चित्रकुट स्कीम सेल्बी हास्पीटल के पास वैशाली नगर जयपुर ने दिनांक 26.07.2024 समय 12.30 पीएम पर एसीबी चौकी सवाई माधोपुर में उपस्थित होकर सह प्रार्थी आलोक पारीक के हस्ताक्षर युक्त स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड मय मुख्तयारनामा के मन सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया की कि "मैं अविनाश थानवी पुत्र जय प्रकाश नारायण थानवी जाति ब्राहम्मण निवासी 3/400, चित्रकुट स्कीम सेल्बी हास्पीटल के पास वैशाली नगर जयपुर का रहने वाला हॅू। मेरे पारिवारिक मित्र श्री आलोक पारीक जो जयपुर में निवासरत है। मेरा सवाई माधोपुर में व्यवसायिक कार्य है, इसलिये मैं सवाई माधोपुर आता-जाता रहता हॅू। मेरे मित्र आलोक पारीक व उनके परिवारजन की 81 बीघा 12 बिस्वा कृर्षि भूमि सवाई माधोपुर जिले की खण्डार तहसील के बडोद गांव में स्थित है। उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थर गढी/नक्शा तरमीम कार्य करवाने के लिये मुझे मेरे मित्र आलोक पारीक ने जरिये शपथ पत्र अधिकृत किया था। जिस पर मैं करीबन 5-6 माह पूर्व तहसीलदार खण्डार धर्मेन्द्र तसेरा जी से मिला तो उन्होने मेरे से उक्त कार्य के लिये पांच लाख रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर तहसीलदार जी ने मेरा उक्त कार्य नही करने का दबाव बनाकर मेरे से दो लाख पचास हजार रूपये ले लिये और 3 लाख रूपये रिश्वत राशि की और मांग कर रहे है। मै मेरे जायज काम के लिये तहसीलदार जी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हॅू। बल्कि रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। मेरी उनसे कोई रंजिश व पुराना लेन-देन नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तो परिवादी अविनाश थानवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाया गया। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट एवं दरियाफ्त तथा प्रस्तुत दस्तावेज आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने से समय 12.45 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री हम्मीर सिंह कानि0 02 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी अविनाश थानवी से परिचय करवाकर हम्मीर सिंह कानि0 को परिवादी द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री हम्मीर सिंह कानि0 से कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकलवा कर परिवादी अविनाश थानवी के समक्ष वाईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित कर व वॉईस रिर्काडर में मैमोरी कार्ड (माइक्रो 8 जीबी) लगाकर वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री अविनाश थानवी को समझाकर आरोपी से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॅार्ड करने हेतु वॉइस रिकॅार्डर को श्री हम्मीर सिंह कानि0 को जरिये फर्द सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के संदिग्ध अधिकारी के पास जाने से पूर्व वॉईस रिकॅार्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें एवं रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर वॉइस रिकॅार्डर को परिवादी से प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.25 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अविनाश थानवी एवं श्री हम्मीर सिंह कानि0 को परिवादी के निजी वाहन से संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु खण्डार, सवाई माधोपुर के लिए बाद हिदायत समझाईश कर रवाना किया गया। इसके पश्चात समय 06.45 पीएम पर कानि0 हम्मीर सिंह मय परिवादी श्री अविनाश थानवी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा वापिस आया। परिवादी अविनाश थानवी ने बताया कि मैं व हम्मीर सिंह कानि0 आपके कार्यालय से रवाना होकर खण्डार, पहुंचे, जहां पर एकान्त स्थान पर मुझे श्री हम्मीर सिंह कानि0 द्वारा वॉइस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करने पर मैं हम्मीर सिंह के पास से रवाना होकर तहसील कार्यालय खण्डार के अन्दर चला गया। हम्मीर सिंह जी तहसील कार्यालय के बाहर ही रूक गये थे। मैं तहसील कार्यालय खण्डार में तहसीलदार धर्मेन्द्र तसेरा के पास पहुंचा, जहां पर एक महिला व 1-2 व्यक्ति और बैठे हुये थे। मैने तहसीलदार से मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की तो तहसीलदार जी ने मुझे दो मिनट के लिये बाहर भेज दिया मैने कहा कि सर आप लोग डिस्कर्स कर लो, इसके थोडी देर पश्चात तहसीलदार जी ने मुझे बुलाया और कहा कि काम आपने देखा है इजी नहीं आपने देखा है और दस लाख रूपये का ईशारा किया तो मैने कहा कि सर इजी नहीं है सर में समझ गया बट दस लाख ज्यादा नही है सर आप लोग बताओ नहीं मुझे पता नहीं है थोडा सा सोचो मेरे बारे में इसके पश्चात तहसीलदार जी ने कहा की इक्कासी बीघा के आधार पर कोई ज्यादा नहीं है, चार-पांच आदमी है, चार-पांच आदमी के

पास फाईल लगेगी, इसको चार-पांच आदमी देखेगे। मैंने कहा की कब देने आउ पैसे तो उन्होने कहा की जैसे भी आप चाहो मैने कहा की जब मौके पर आयेगें जब। इस प्रकार तहसीलदार ने मेरे उक्त कार्य करने के लिये स्वंय व पटवारी, गिरदावर एवं सीआई के लिये दस लाख रूपये की मांग की। सभी बाते मैंने वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली तथा बाहर आकर वॉइस रिकॉर्डर श्री हम्मीर सिंह कानि0 को सुपुर्द कर दिया। जिन्होने उसे बन्द कर अपने पास रख लिया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 हम्मीर सिंह से पूछा तो कानि0 ने परिवादी की बातो को ताईद करते हुये बताया मैंने वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया था तथा मैं परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हो गया था। मेरे समक्ष परिवादी तहसील कार्यालय खण्डार में प्रवेश कर गया था। में वही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये तहसील कार्यालय खण्डार के आस-पास रूक गया था। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हम्मीर सिंह कानि0 से वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी व हम्मीर सिंह कानि0 के समक्ष कार्यालय कक्ष में लेपटॉप स्पीकर मंगवाकर वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से अटैच कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथन की पुष्टि होना पायी गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड होना पाई गयी। रिकॉर्ड वार्ता का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया गया। वॉइस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय के पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात समय 10.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री अविनाश थानवी को समझाईस की गई जब भी संदिग्ध अधिकारी आपसे सम्पर्क करें तब आप संदिग्ध अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 10,00,000/- रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 30.08.2024 समय 05.20 पीएम पर परिवादी अविनाश थानवी पुत्र जय प्रकाश नारायण थानवी जाति ब्राहम्मण निवासी 3/400, चित्रकुट स्कीम सेल्बी हास्पीटल के पास वैशाली नगर जयपुर व सहप्रार्थी आलोक पारीक पुत्र स्व. श्री कमल नयन, पारीक,जाति ब्राहम्मण, उम्र 42 वर्ष निवासी, 4/239, एसएफएस अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश करते हुये बताया कि मेरे द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक श्री धर्मेन्द्र तसेरा को लग चुकी है। मैंने रिश्वत मांग सत्यापन के बाद उनको कई बार फोन किया लेकिन उन्होने मेरा फोन का कोई जबाव नही दिया, शायद उनको मेरे द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है। इसलिये अब वो मेरे से रिश्वत राशि नही लेगे। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। तत्पश्चात समय 06.00 पी.एम पर कार्यालय के कम्प्यूटर में डिजिटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को लगाकर से दिनांक 26.07.2024 को आरोपी तहसीलदार धर्मेन्द्र तसेरा व अन्य व्यक्तियों के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। जो मन अतिरिक्त पुलिस के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें रिकॉर्ड वार्ता (240726_003MP3 दिनांक 26.07.2024 को हुई परिवादी श्री अविनाश थानवी व आरोपी धर्मेन्द्र तसेरा तहसीलदार व अन्य व्यक्तियों के मध्य हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को परिवादी अविनाश थानवी एवं रूबरू मौतबिरान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी एवं रूबरू मौतबिरान के समक्ष सुन-सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 26.07.2024 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री हम्मीर सिंह कानि0 से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क A-1 व दो डीवीडीयां क्रमश- मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क A-2, A-3 अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। जर्ये कम्प्यूटर मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्य की गणना कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये (माइक्रो 8 जीबी) मेमोरी कार्ड को माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैली पर मार्का-M-1 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई । इसके पश्चात समय समय 11.30 पीएम पर मूल पेन ड्राईव शील्ड मार्क A-1 एवं मुल्जिम प्रति शील्ड डी.वी.डी मार्क B-2 एवं मैमोरी कार्ड मार्क M-1 को श्री रमेश कुमार कानि0 469 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसके पश्चात समय 11.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.50 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी अविनाश थानवी व सह प्रार्थी आलोक पारीक को बाद कार्यवाही सकुशल रूखसत किया गया। अब तक की कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि आरोपी श्री धर्मेन्द्र तसेरा पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल खटीक निवासी बी.एस.एन.एल ऑफिस टोंक हाल नायब तहसीलदार (पद विरूद्व तहसीलदार खण्डार) तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री अविनाश थानवी पुत्र जय प्रकाश नारायण थानवी जाति ब्राहम्मण निवासी 3/400, चित्रकुट स्कीम सेल्बी हास्पीटल के पास वैशाली नगर जयपुर से पारिवारिक मित्र श्री आलोक पारीक व उसके परिवारजन की 81 बीघा 12 बिस्वा कृर्षि भूमि सवाई माधोपुर जिले की खण्डार तहसील के बडोद गांव में स्थित है। उक्त कृर्षि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थर गढी/नक्शा तरमीम कार्य करवाने के लिये

परिवादी के मित्र आलोक पारीक ने परिवादी को जरिये शपथ पत्र अधिकृत किया था। उक्त कार्यो को करने के लिये श्री धर्मेन्द्र तसेरा तहसीलदार खण्डार तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर द्वारा परिवादी से पांच लाख रूपये रिश्वत की मांग की तथा तहसीलदार श्री धर्मेन्द्र तसेरा उक्त कार्यो को नही करने का दबाव बनाकर परिवादी से 2 लाख पचास हजार रूपये ले लिये और 3 लाख रूपये रिश्वत राशि की और मांग की। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत लेन-देन का पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 26.07.2024 को श्री धर्मेन्द्र तसेरा तहसीलदार द्वारा परिवादी अविनाश थानवी से स्वंय के लिये व पटवारी, गिरदावर एवं सीआई के लिये दस लाख रूपये की मांग करने की पृष्ठी होना पाया गया तथा दिनांक 30.08.2024 को परिवादी व सह प्रार्थी द्वारा दिये गये हस्तलिखित प्रार्थना पत्रानुसार बताया कि मेरे द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक शायद श्री धर्मेन्द्र तसेरा को लग चुकी है। मैंने रिश्वत मांग सत्यापन के बाद उनको कई बार फोन किया लेकिन उन्होने मेरा फोन का कोई जबाव नही दिया, शायद उनको मेरे द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग चुकी है। इसलिये अब वो मेरे से रिश्वत राशि नही लेगे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल कार्यवाही किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री धर्मेन्द्र तसेरा तहसीलदार द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 26.07.2024 को परिवादी से स्वंय व पटवारी, गिरदावर एवं सीआई के लिये दस लाख रूपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा करवायी जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से रिश्वत राशि प्राप्त नही करने का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस के बकू में आना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपी श्री धर्मेन्द्र तसेरा पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल खटीक निवासी बी.एस.एन.एल ऑफिस टोंक हाल नायब तहसीलदार (पद विरूद्ध तहसीलदार खण्डार) तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर एवं अन्य के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर प्रेषित की गई। (सुरेन्द्र कुमार शर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बी. एन.एस.2023 में आरोपी श्री धर्मेन्द्र तसेरा पुत्र स्व.श्री कन्हैया लाल खटीक, निवासी बी.एस.एन.एल, ऑफिस टोंक हाल नायब तहसीलदार,(पद विरूद्ध तहसीलदार खण्डार) तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर एवं अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 750 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1258-61 दिनांक 17-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2-निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/10/2024 17:23:02

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्रक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)